

## क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/बीमा कम्पनियों/निगमों/बोर्डों आदि में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की है। इस प्रयोजन के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।

### मुख्य कार्यकलाप

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये किये जा रहे मुख्य कार्य नीचे दिये गये हैं:

- (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- (2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, बोर्डों, संगठनों आदि का राजभाषा सम्बन्धी नियमित निरीक्षण करना, पाई गयी कमियों को निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालयों को सूचित करना तथा कमियों को दूर करने के लिए अनुसरणात्मक कार्रवाई करना
- (3) क्षेत्राधिकार में स्थित कार्यालयों से हिन्दी तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त करना एवं उनकी समीक्षा करके कमियों को सम्बन्धित कार्यालयों के ध्यान में सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लाना तथा उनका अनुश्रवण कार्य करना।
- (4) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भाग लेना।
- (5) क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना।
- (6) जिस नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है अथवा अतिरिक्त नगर राजभाषा समिति के गठन की आवश्यकता हो, तो नई समिति गठित करने का कार्य करना।

- (7) क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन करना ।
- (8) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों की जानकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त कार्यालयों को प्रदान करना ।
- (9) अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना ।

**गत 5 वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धियां**

राजभाषा संबंधी निरीक्षण		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	लक्ष्य	1800	1800	1800	1800	1800
	उपलब्धि	1743	1722	1869	1414	1503
	प्रतिशत उपलब्धि	71.20	70.34	81.12	69.72	83.50
क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	लक्ष्य	4	4	4	4	4
	उपलब्धि	4	5	2	6	4
	प्रतिशत उपलब्धि	100	125	50	150	100
हिंदी दिवस का आयोजन		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	लक्ष्य	1	1	1	1	1
	उपलब्धि	1	1	1	1	2

## वर्ष 2015-16 के लक्ष्य

वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है -

राजभाषा संबंधी निरीक्षण	1800
क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन	4
हिंदी दिवस का आयोजन	1
नई नराकास का गठन	64

## राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के पते एवं अधिकार क्षेत्र

	पता	अधिकार क्षेत्र
1.	उप निदेशक (कार्यान्वयन) , क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, कमरा नं. 601ए, सेक्टर 10, 6वां तल, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुम्बई-400614 दूरभाष एवं फ़ैक्स- 022-27560225 ई-मेल : ddimpol-mum@nic.in, ddriomum-dol@nic.in	<ul style="list-style-type: none"><li>• महाराष्ट्र</li><li>• गुजरात</li><li>• गोवा</li><li>• दमण दीव, दादरा एवं नागर हवेली</li></ul>
2.	उप निदेशक (कार्यान्वयन) , क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कमरा नम्बर 206, निर्माण सदन, 52 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 दूरभाष- 0755-2553149,0755-2553149 ई-मेल पता - ddimplbho-mp@nic.in, ddriobho-dol@nic.in	<ul style="list-style-type: none"><li>• राजस्थान</li><li>• छत्तीसगढ़</li></ul>

3	<p>उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-। (दिल्ली)</p> <p>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए-149 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023</p> <p>दूरभाष/फैक्स-011-24674674</p> <p>ई-मेल : ddriodel-dol@nic.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र</li> <li>• पंजाब</li> <li>• हरियाणा</li> <li>• हिमाचल प्रदेश</li> <li>• जम्मू व कश्मीर</li> </ul>
4	<p>उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-।। (गाजियाबाद)</p> <p>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कमरा नं. 302, तीसरा तल, सीजीओ भवन,</p> <p>कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001</p> <p>उत्तर प्रदेश</p> <p>दूरभाष/फैक्स- 0120-2719356</p> <p>ई-मेल : ddriogzb-dol@nic.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उत्तर प्रदेश</li> <li>• उत्तराखण्ड</li> </ul>
5	<p>उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व)</p> <p>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, निजाम पैलेस, 18वां तल,</p> <p>234/4, आचार्य जे. सी. बोस रोड़,</p> <p>कोलकाता-700030</p> <p>दुरभाष-033-22875305 ,फैक्स-033-22800356</p> <p>ई-मेल : ddriokol-dol@nic.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पश्चिम बंगाल</li> <li>• उड़ीसा</li> <li>• बिहार</li> <li>• झारखण्ड</li> <li>• अण्डमान एवं निकोबार</li> </ul>

6	<p>उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण)</p> <p>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, 5वां तल,डी विंग, कोरमंगला, बेंगलूरु-560034</p> <p>दूरभाष/फैक्स 080-25536232</p> <p>ई-मेल : ddriobng-dol@nic.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आन्ध्र प्रदेश</li> <li>• कर्नाटक</li> </ul>
7	<p>उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर)</p> <p>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, राजगढ़ रोड़, वाई लेन नं ।</p> <p>पोस्ट -शिलपुखरी,गुवाहाटी- 781003</p> <p>दूरभाष व फैक्स 0361-2524686</p> <p>ई-मेल : ddrioguw-dol@nic.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• असम</li> <li>• त्रिपुरा</li> <li>• मिजोरम</li> <li>• नागालैण्ड</li> <li>• मणिपुर</li> <li>• मेघालय</li> <li>• सिक्किम</li> <li>• अरुणाचल प्रदेश</li> </ul>
8	<p>उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम)</p> <p>गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय भवन, ब्लॉक सी-1, सातवां तल,</p> <p>सेस पी-ओ, कोच्चि-682037, केरल</p> <p>ई-मेल : ddriokoc-dol@nic.in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• केरल</li> <li>• तमिलनाडु</li> <li>• पुदुच्चेरी</li> <li>• लक्षद्वीप</li> </ul>

### **क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन**

राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष 4 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है । संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय

पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रूप से करने के लिए इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबंधी विषयों पर विचार मंथन भी किया जाता है। 31 मार्च, 2015 तक 91 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है।



वर्ष 2014-15 में उत्तरी क्षेत्रों के लिए यह सम्मेलन लखनऊ में, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों के लिए भोपाल में, पूर्व पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कोलकाता में और दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के लिए मंगलौरमेंसम्मेलन का आयोजन किया गया ।

[मुख्य पृष्ठ](#)